

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी-3, 244,245, सेक्टर 27, हाउसिंग बोर्ड कालोनी नया रायपुर

ईमेल- secretaryboc@gmail.com, phone No. 2971063

क्रमांक / बीओसी / स्वा0पें / 2017 / 431
प्रति

नया रायपुर, दिनांक 26/04/2017

सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी

जिला-----

विषय :- स्वावलंबन पेंशन योजना एवं अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में ।

—000—

विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 01.04.2015 से पूर्व स्वावलंबन पेंशन योजना 18 से 60 वर्ष के हितग्राहियों के लिये लागू थी । भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2015 से 18 से 40 वर्ष के हितग्राहियों के लिये अटल पेंशन योजना लागू की गई है । इस संबंध में अटल पेंशन योजना एवं स्वावलंबन पेंशन योजना के तहत हितग्राहियों से अंशदान जमा करने हेतु पीएफआरडीए से मार्गदर्शन चाही गई थी । इस संबंध में पीएफआरडीए द्वारा उपरोक्त दोनों योजनाओं के तहत अंशदान जमा करने हेतु पत्र क्रमांक पीएफआरडीए/3/ए0जी0जी /89, दिनांक 22.02.2017 द्वारा मार्गदर्शन प्रदाय की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है)।

अतः निर्देशित किया जाता है कि पीएफआरडीए के पत्र में दिये गये निर्देश अनुसार उपरोक्त दोनों योजनाओं के तहत हितग्राहियों का अंशदान जमा करवाना सुनिश्चित करें ।

(श्रीमती सविता मिश्रा)
सचिव

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

रायपुर दिनांक 26/04/2017

पृ0क्र0 / स्वा0पें / 2017 / 432 - 437

प्रतिशिपि:-

- 01: गाननीय अध्यक्ष , छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
02. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन श्रम विभाग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. श्रमायुक्त सह मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

04. कलेक्टर जिला-----की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
05. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
06. एन आई सी शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की ओर मण्डल के पोर्टल में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सचिव

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

PFRDA

पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण
वी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन,
कुतुब संस्थागत क्षेत्र,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016.
दूरभाष : 011-26517501
फैक्स : 011-26517507
वेबसाइट : www.pfrda.org.in

PENSION FUND REGULATORY
AND DEVELOPMENT AUTHORITY
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan,
Qutab Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016.
Ph : 011-26517501
Fax : 011-26517507
Website : www.pfrda.org.in

File No- PFRDA/3/AGG/89

To,

Shri Vivek Dhand
Chief Secretary,
Government of Chhattisgarh,
Room No. S-4/21, Fourth Floor,
Mahanadi Bhawan, Mantralaya,
Naya Raipur, Chhattisgarh – 492 002

Subject : Clarification regarding Swavalamban subscriber aged above 40 years.

Dear Sir,

Please refer your letter no. 49/CS/2017 dated 06.01.2017 on the captioned subject.

2. It is to be noted that as per instruction received from Govt. of India fresh registration under NPS Lite/Swavalamban has been discontinued w.e.f. 01.04.2015. Further, a new scheme Atal Pension Yojana was launched by Govt. of India w.e.f. 01.06.2015. As instructed by Govt. of India, the subscribers of NPS Lite/Swavalamban, in the age group of 18-40 years have been given an option to migrate to new Atal Pension Yojana. It was further advised that the associated aggregator would facilitate these eligible subscribers for completing the process of migration to APY which is being handled by Banks only.

3. Further, NPS Lite/Swavalamban subscribers who are above 40 years of age are permitted to continue in the NPS Lite scheme till they attain the age of 60 years by getting services of their existing Aggregator registered with PFRDA. In case any aggregator who is either de-registered or whose de-registration is under process, its underlying subscribers have a choice for selecting either SBI or CSC e-Governance infrastructure Ltd as their default aggregator for providing future services to them.

For any clarification you may please contact Shri Sunil Samuel, AVP, NSDL at sunils@nsdl.co.in.

Yours sincerely

(Ashish Kumar)
General Manager

क क्रमांक. 8.19
प्र.सं. / श्रम विभाग
दि. 25/01.2017

130 MAR 2017
25 MAR 2017
PS, Fin./PS, Labour
Jey.S.W.
US 3/14/17
SO 3/14/17
February 22, 2017
GOVT. SECRETARY
Govt. of Chhattisgarh
DAR-03 3299
Date: 27 MAR 2017